संख्या- 18/2023/370 /12-2-2023-49/2022

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2023

विषयः आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत गठित फॉर्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/फॉर्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को शेयर पूंजी अनुदान (इक्विटीग्रांट) अनुमन्यता एवं आवश्यक प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Formation and promotion of 10,000 farmer producer organizations (FPOs) के अन्तर्गत देश में 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियां बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं यथा नाबार्ड, एन0सी0डी0सी0, नेफेड तथा एस0एफ0ए0सी0 इत्यादि द्वारा किया जा रहा है।

केंद्रीय योजना के आधार पर ही राज्य में एफ.पी ओ. के गठन को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा स्वयं के संसाधनों से वित्तीय वर्ष 2021-22 से कृषकों की आय दुगुनी करने एवं कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए ''आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना'' संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 1475 कृषि उत्पादक संगठनों (फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/फॉर्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज) बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार की योजनान्तर्गत (आत्म-निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के मध्य से आगामी 03 वर्ष तक 1475 एफ.पी.ओ. गठित कर इनके कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित किये जाने सम्बन्धी नीति पूर्व से ही क्रियान्वित की जा रही है।

2- वर्तमान में उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 लागू होने के उपरान्त कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े 17 विभागों की विभागीय परियोजनाओं में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आत्म-निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना के अनुरूप राज्य में अपने संसाधनों से एफ.पी.ओ. गठन का कार्य किया जा रहा है।

3- केन्द्र सरकार की एफ0पी0ओ0 नीति के अनुरूप, प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत गठित फॉर्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/फॉर्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को शेयर पूंजी अनुदान (इक्विटीग्रांट) अनुमन्यता एवं आवश्यक प्रबंधकीय प्राविधान निम्नवत होंगे:-

(1). एफ. पी. ओ. हेतु शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) की अनुमन्यता:

केन्द्रीय योजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत गठित एफ0पी0ओ0 (फॉर्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/फॉर्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज) के उत्पादक/ व्यावसायिक क्रिया-कलापों के सतत् विकास हेतु शेयर पूंजी अनुदान निधि (इक्विटी ग्रांट) की स्थापना की जा रही है। निर्माता सदस्यों की अपनी इक्विटी को पूरक करते हुए सरकार एक मैचिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

इक्विटी अनुदान देगी, जो कि एफ.पी.ओ. के वित्तीय आधार को मजबूत करने और उन्हे अपनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने और व्यापार विकास के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। इक्विटी अनुदान प्रति एफ.पी.ओ. रू0 15 लाख निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन प्रति किसान सदस्य न्यूनतम रू0 1,000/- एवं अधिकतम रू0 2,000/- की सीमा तक के बराबर अनुदान के रूप में होगा (रू0 दो हजार प्रति शेयर होल्डर, 750 शेयर होल्डर हेतु अधिकतम)। यह इक्विटी ग्रांट इक्विटी में सरकार की भागीदारी के रूप में नहीं बल्कि केवल एफ.पी.ओ. के लिए एक अनुदान के रूप में किसान सदस्यों की इक्विटी के रूप में है।

(2). उक्त शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) प्राविधान के मुख्य अवयव निम्नवत होंगे:

(2.1). शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) के उद्देश्य:

(i) एफ.पी.ओ. की व्यवहार्यता और स्थिरता को बढ़ाना;

(ii) एफ.पी.ओ. क्रेडिट योग्यता में वृद्धि; और

(iii) एफ.पी.ओ. में अपनी स्वामित्व और भागीदारी बढ़ाने के लिए सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना।

(2.2). एफ.पी.ओ. के लिए पात्रता मानदंड: निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाला एफ.पी.ओ. इस योजना के तहत शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा-

(i) प्रचलित योजना अंतर्गत अनुसार उपरोक्त एक कानूनी इकाई होगी।

(ii) शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रान्ट) के पात्रता हेतु किसी एफ.पी.ओ. में न्यूनतम सक्रिय सदस्यों की संख्या कम से कम दो सौ कृषकों (200) और 2 लाख की जमा पूंजी अंश (प्रत्येक सदस्य का रुपये न्यूनतम 1,000 अंश पूंजी में) अवश्य होनी चाहिए| इससे कम सदस्य संख्या वाले एफ.पी.ओ. इस अनुदान (इक्विटी ग्रांट) के पात्र नहीं होंगे|

(iii) इसने एसोसिएशन/उप-नियमों के अनुच्छेदों में, जैसा भी मामला हो,अपने सदस्यों से शेयर पूंजी जुटाई हो (इक्विटी रेज़ की है)।

(iv) इसके अलग-अलग शेयरहोल्डर्स की संख्या योजना में वर्णित नियमों के अनुसार हो।

(v) इसके 50 प्रतिशत अंशधारक छोटे, सीमान्त और भूमिहीन काश्तकार हैं, जिन्हे कृषि जनगणना, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाता है। इसके शेयरधारकों के रूप में महिला किसानों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(vi) किसी एक सदस्य द्वारा अधिकतम शेयरधारिता एफ.पी.ओ. की कुल इक्विटी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(vii) कोई किसान विभिन्न उत्पाद क्लस्टरों के साथ एक से अधिक एफ.पी.ओ. में सदस्य हो सकता है परंतु वह अपने शेयर तक इक्विटी ग्रांट को मैच करने के लिए केवल एक बार (किसी एक एफ.पी.ओ. के लिए जिसमें वह सदस्य है) पात्र होगा।

(viii) निदेशक मण्डल (बीओडी) और शासी निकाय (जीबी) में, जैसा भी मामला हो, महिला किसान सदस्य (सदस्यों) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और न्यूनतम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।

(ix) इसके पास एक विधिवत गठित प्रबंधन समिति है जो एफ.पी.ओ. के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है।

(x) इसके पास अगले 18 महीनों के लिए एक व्यवसाय योजना और बजट है जो कि एक स्थायी, राजस्व मॉडल पर आधारित है।

(2.3) शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) को जारी करने की प्रक्रिया:

पात्र एफ.पी.ओ. को रू. 15 लाख प्रति एफ.पी.ओ. की अधिकतम सीमा के अधीन एफ.पी.ओ. में हितधारक सदस्यों के साम्य अंशदान की राशि के बराबर अनुदान प्राप्त करने के लिए शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) **उपलब्ध** कराया जायेगा। एफ.पी.ओ. के बैंक खाते में अन्तरित किए जाने के लिए संस्वीकृत शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) कृषि विभाग के अधिन गठित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम्.यू0) द्वारा की जाएगी। एफपीओ, इक्विटी ग्रांट की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, इसके हितधारक सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

करेगा जो इसके द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि के मूल्य के बराबर होगी, बशर्ते कि, उपर्युक्त के अनुसार उनके शेयर पर ध्यान दिए बिना हितधारक की अधिकतम अनुदान प्रति श्रेणी निम्नानुसार हो:

प्रत्येक शेयरधारक- प्रति सदस्य न्यूनतम रू0 1000/- व अधिकतम रू0 2000/- तक

(2.3) (क)- एफ.पी.ओ. के प्रत्येक हितधारक सदस्य को इक्विटी ग्रांट (राउंडेड ऑफ टू शेयर इकाई मूल्य) की गणना के लिए मानदंड (उचित अधिनियम के लागू होने योग्य प्रावधानों के अनुसार उत्पादन कंपनी/सहकारी समिति द्वारा निर्धारित हितधारकों के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) निम्नानुसार है:-

i. शेयर का आवंटन हितधारकों की मौजूदा शेयर होल्डिंग के समान होने/यथानुपात आधार पर होगी जो कि उपर्लिखित अधिकतम के अध्यधीन है तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक हितधारक न्यूनतम एक इक्विटी शेयर प्राप्त करता है।

ii. यदि कोई एफ.पी.ओ. को संस्वीकृत किया गया अनुदान इसके सभी हितधारक सदस्यों को न्यूनतम एक शेयर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो अनुदान का आवंटन हितधारकों के मौजूदा भू-जोतों के आधार पर होगा, जो संबंध क्रियाकलापों के मामले में कम से कम भू-जोत/सबसे छोटे उत्पादक के साथ हितधारकों से शुरू होता हो अथवा पारदर्शी ड्रॉ द्वारा जहां ऐसी पहचान संभव नहीं है।

(2.3) (ख)- एफ.पी.ओ. को अधिकतम 3 हिस्सों (पहले आवेदन के 4 वर्षो की अवधि के भीतर तथा सीबीबीओ की प्रारंभिक सहायता की अवधि के भीतर) में शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) निकालने की अनुमति होगी, जो कि 15 लाख रूपए प्रति एफ.पी.ओ. की सीमा के अध्यधीन है, बशर्ते उस सीमा तक जब तक 15 लाख रूपए की समय सीमा के भीतर अतिरिक्त समान अनुदान के लिए पात्रता हेतु अतिरिक्त सदस्य इक्विटी को बढ़ाने में समर्थ हो। दूसरे हिस्से के लिए किए गए अनुरोध को नया आवेदन माना जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाएगा।

(2.3) (ग)- यदि वे शेयरधारक संस्वीकृत इक्विटी ग्रांट की तुलना में एफ.पी.ओ. द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त शेयर प्राप्त करते हैं, शेयर प्राप्त करने के बाद कभी भी एफ.पी.ओ. को छोड़ते हैं, शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) के बदले में उनके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त शेयर तथा उनके नाम पर शेयर को अन्य हितधारक अथवा नए हितधारक को पारदर्शी ड्रा के माध्यम से एफ.पी.ओ. से उसके निकलने के 90 दिनों के भीतर अंतरित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, मूल हितधारक अन्य/नए सदस्यों को अंतरित किए गए अतिरिक्त शेयर के मूल्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(2.3) (घ)- राज्य सरकार को एफ.पी.ओ. से शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) की राशि को स्वत: वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो निम्न मामले के समानुरूप वैधानिक रूप से उत्तरदायी होंगी:

(i) प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर एफ.पी.ओ. द्वारा शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) की तुलना में सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करने में विफलता;

(ii) शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) के प्राप्त होने के 5 वर्षो के भीतर एफ.पी.ओ. का बंद होना/विघटन होना; और

(iii) शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) का दुरूपयोग/गबन के उदाहरण (जैसे एफ.पी.ओ. के एसोशिएसन/व्यवसाय के एसोसिएशन/आर्टिकल के ज्ञापन में उल्लेखन के अलावा क्रियाकलाप के लिए निधियों का उपयोग)।

(2.4). योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कार्यालय ज्ञाप संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04 नवम्बर 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर 2020) द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाएगा | राज्य में एफ. पी.ओ. योजना के लिए चयनित क्रियान्वयन एजेंसियों का सहयोग भी इसके क्रियान्वन हेतु प्राप्त किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित एफ0पी0ओ0 को अपने सी0बी0बी0ओ0/क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2.5). योजना का क्रियान्वयन विषयक अन्य माप दण्ड शेयर पूँजी अनुदान निधि (इक्विटी ग्रांट) के सम्बन्ध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के आधार पर ही किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन का नोडल विभाग कृषि विभाग होगा तथा योजना कृषि विभाग के अंतर्गत गठित एफ0पी0 ओ0 सेल के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इस विषयगत विस्तृत कार्यकारी निर्देश प्रस्तावित वित्तीय सीमा के प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जायेंगे।

(3). प्रस्तावित शेयर अनुदान (इक्विटी ग्रांट) का अनुमानित वित्तीय उपाशय:

राज्य संसाधनों से योजना के आत्म-निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत गठित होने वाले कुल 1475 किसान-उत्पादक संघ/किसान उत्पादक सहकारी समितियों को दी जाने वाली शेयर पूंजी अनुदान योजना पर वर्षवार एक अनुमानित वित्तीय व्यय (भारत सरकार के मानकों के अनुसार) निम्नवत होगा:-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	एफ0पी0ओ0 की संख्या	अनुमानित व्यय (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4
1	2022-23	225	13.50
2	2023-24	625	37.50
3	2024-25	625	37.50
योग		1475	88.50

योजना के अन्तर्गत लगभग 4.425 लाख (चार लाख बयालीस हजार पांच सौ) शेयर होल्डर किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होना सम्भावित है|

(4). योजना के क्रियान्वयन में केंद्रीय योजना के अनुरूप राज्य स्तरीय पी.एम्.यू. का गठन एवं चयनित कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना के पैटर्न पर प्रबंधन लागत की अनुमन्यता:

(क) उ0 प्र0 कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 के विजन को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा लागू आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना दिसम्बर, 2021 अन्तर्गत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एफ0पी0ओ0 सेल द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई क्रमश: कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर तथा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर शासनादेश संख्या-58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04 नवम्बर, 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर 2020) द्वारा गठन किया जा चुका है।

उक्त नीति, 2020 के क्रियान्वयन सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 05/2021/222/12-2-2021-1/2019 टी0सी0-1, दिनांक 15 जनवरी, 2021 में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, जो कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित है; की व्यवस्था पूर्वस्थापित है। उक्त शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2021 के बिन्दु संख्या- 3.1 में प्राविधान है कि 'राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन तथा उसे सतत रूप से क्रियाशील बनाये जाने हेतु लिये गये नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा गठित फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा तथा उनके समक्ष आने वाले कठिनाईयों के निस्तारण तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं/परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु राज्य स्तरीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रत्यक्ष संरक्षण तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में एक क्रियान्वयन सेल कृषि विभाग मुख्यालय पर गठित किया जायेगा।

उ0प्र0 राज्य में आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के बिन्दु संख्या-8.1 में भी उक्त व्यवस्था को ही पुर्नप्रसारित किया गया है।

(ख) केंद्रीय योजना के वित्तीय स्वरूप के अनुरूप, योजना के विषय में पूर्व प्रस्तावित रहे अनुमानित व्यय में तदनुसार निम्न मद अतिरिक्त रूप से जोड़े जा रहे हैं:-

(i) केंद्रीय योजना के अनुरूप राज्य में योजना के क्रियान्वयन में 5 प्रतिशत तक की सीमा में प्रबन्धन लागत के रूप में क्रियान्वयन एजेन्सियों हेतु अनुमन्य करना।

(ii) केंद्रीय योजना के अनुरूप राज्य में गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (राज्य स्तरीय पी.एम्.यू) हेतु योजना के आगामी 5 वर्षों के लिए रूपये 1200 लाख की वित्तीय सीमा अनुमन्य करना जिसका अनुमानित वित्तीय वर्षवार आगणन निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि (लाख रू. में)
1	2022-23	50
2	2023-24	275
3	2024-25	275
4	2025-26	275
5	2026-27	325

उपरोक्त वित्तीय उपाशय पूर्णतया केंद्रीय योजना में जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) हेतु अनुमन्य है उसी के अनुरूप समानुपातिक रूप से कार्य के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु प्राविधानित किया गया है एवं उक्त मद में प्राविधानित धनराशि का उपयोग केंद्रीय योजना में अनुमन्य गतिविधियों के अनुरूप ही राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जायेगा |

(5). योजना की प्रकृति और महत्ता के दृष्टिगत पूर्व व्यवस्था में संशोधन करते हुये राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में विभाग के सचिव/विशेष सचिव Ex officio CEO होंगे और Add. CEO हेतु कृषि क्षेत्र के अनुभवी सेवानिवृत्त/सेवारत निदेशक/अपर निदेशक (कृषि) स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा।

(6). पूर्वोनुमोदित परियोजना प्रबन्धन इकाई की संरचना में विभिन्न सेक्टर के जो विशेषज्ञ अभी तक प्राविधानित हैं वह विभागीय अधिकारियों के रूप में रखे जाने विषयक स्वीकृति रही है जबकि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई में उक्त के साथ-साथ विभिन्न सेक्टर्स के प्रोफेशनल की भी आवश्यकता है, जिसका अभाव होने के
कारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौती का अनुभव किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के सशक्त हो कर प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए केंद्र सरकार के अनुरूप विशेषज्ञ संस्था/कंसल्टेंसी फर्म व सर्पोटिंग स्टाफ को निविदा/आउटसोंसिंग के आधार पर चयनित कर रखा जायेगा| उक्त कंसल्टेंसी फर्म में यथा अपेक्षित एक्सपर्ट्स को इंगेज किया जायेगा (उदाहरण के लिए: Agriculture/Horticulture Production Expert; Agriculture & Food Processing Technology & Standards Expert; Incubation Service Providers;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Accounting & Auditing Expert; IT/MIS Expert)| उक्त विषयगत कंसल्टेंसी फर्म व एक्सपर्ट्स के अंतिम स्वरुप का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के स्तर पर विनिश्चित किया जायेगा|

उपरोक्तानुसार विशेषज्ञ कंसल्टेंट को रखे जाने से न केवल पूर्व में निर्धारित योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता होगी बल्कि योजना के बेहतर नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से योजना के लक्ष्यों के अनुरूप इसका क्रियान्वयन कर राज्य के कृषको को आर्थिक रूप से सशक्त कर राज्य के कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास को अपेक्षित गति दिए जाने में उपरोक्त सहायक होगा|

(7)- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना में प्रस्तावित संशोधनों, एवं लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन समय-समय पर विभिन्न लाइन विभागों द्वारा निर्गत किसानोपयोगी नीतियों, शासनादेशों को समाहित करते हुये किया जायेगा। इससे योजना की उपयोगिता तथा प्रभाविता में गुणात्मक वृद्धि होगी तथा कृषि एवं सहायित क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से प्रदेश के किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि करते हुये उसे पूर्ण आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत गठित फॉर्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/फॉर्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को शेयर पूंजी अनुदान (इक्विटीग्रांट) अनुमन्यता एवं आवश्यक प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया का संचालन उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों के आलोक में कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-18/370 (1) /12-2-2023-49/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- सचिव, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, न्याय विभाग, नियोजन विभाग, दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य विभाग, समन्वय विभाग, पशुधन विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, लघु सिंचाई एवं भूजल विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, रेशम विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, पंचायती राज विभाग, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, औदयोगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- अध्यक्ष, नाबार्ड, मुम्बई।
9- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11- राज्य समन्वयक, एस0एल0बी0सी0, बैंक ऑफ बड़ोदा, प्रदेश कार्यालय, गोमती नगर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

लखनऊ।
12- राज्य समन्वयक, यू0पी0 डास्प, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13- समस्त अपर/संयुक्त/उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।